प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ ::दिनांक: 26-03-2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5181/आई०बी०/टी०एण्ड०पी०/2025-26, दिनांक 11 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखा शीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई एवं 4701 मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 4800.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि रू० 491.50 लाख में से रू० 3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 व 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**संगठन का नाम**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
4700-80-052-07-0704-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		
1	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	5.00
	(4700-4-12)	**5.00**
4700-80-052-07-0705-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर **(गाडी भाड़ा)**		
2	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी**	7.50
3	**मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-2) गोण्डा**	25.00
	(4700-5-12)	**32.50**
4700-80-052-07-0705-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र **(गाडीभाड़ा)**		
4	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी**	21.00
5	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	15.00
	(4700-5-26)	**36.00**
	कुल योग 4700	**73.50**
4701-80-052-03-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर **(नवीन सम्पूर्ति)**		
6	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	1.50
	(4701-03-12)	**1.50**
4701-80-052-04-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

7	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी**	50.00
8	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	70.00
	(4701-04-12)	**120.00**
4701-80-052-04-26 (मरम्मत)		
9	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	115.00
	(4701-04-26)	**115.00**
4701-80-052-05-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(गाड़ी भाड़ा)**		
10	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	20.00
	(4701-05-12)	**20.00**
4701-80-052-05-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(गाड़ी भाड़ा)**		
11	**मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), लखनऊ**	20.00
12	**मुख्य अभियन्ता (राज्य बांध सुरक्षा संगठन), लखनऊ**	10.00
	(4701-05-26)	**30.00**
	योग (4701)	**286.50**
	कुल योग (4700+4701)	**360.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी०एण्ड०पी० मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं, शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी०एम०-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/ अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4700800520704 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520704 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			**5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या			
1	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	32,50,000 (रुपये बत्तीस लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	36,00,000 (रुपये छत्तीस लाख मात्र)
	कुल			**68,50,000 (रुपये अड़सठ लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520400 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
2	094	4701800520400 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,15,00,000 (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**2,35,00,000 (रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520500	12	20,00,000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

		गाडी भाडा	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	(रुपये बीस लाख मात्र)
2	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

महायोग	3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-214(1)/2026/606/26-27-सिं0-4-58-W-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यॉत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता, (नलकूप मध्य), लखनऊ /(नलकूप), वाराणसी/(सरयू परियोजना-2) गोण्डा/(राज्य बांध सुरक्षा संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/गोण्डा, उ0प्र0।
8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।